

कार्यालय निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, ३०प्र०, लखनऊ।

संख्या-4डी(1)/380/2021/

લાખણકુ: દિનાંક: 16/01/2024

॥ कायलिय द्वाप ॥

स्यो राजेश कुमार, वाई ब्लाय, अधीन मुख्य पिंकिता अधीक्षक, जिला धिकितरायलय, छीरी की मृत्यु दिनांक 04.08.2021 को सोगाकाल में हो जाने के फलस्वरूप उबली आश्रित पुंछी कु0 अनन्या राध्यप की विद्युतित मृतक आश्रित के रूप में मृतक आश्रितों की भर्ती सेवा-धियामाली 1974, यथा गंशोधित अधिक्षियम, 30प्र० शासन, पिंकिता अनुभाग-4 के पश्चातली रो-0-5-4099/901/2022-4-1/368647/2023, दिनांक 14.08.2023 के दरमां गो एवं कार्डिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/धी0सी0-7(II), दिनांक 27.12.2022, द्वारा प्रारूपित “उत्तर प्रदेश सोगाकाल में मृत सरकारी सेवकों के अधित की भर्ती तिहरायां संस्थोपन) वियामाली 2022” ने निर्दित प्राविधिक तो अनार्थ गुम्ब्य पिंकिता अधीक्षक, जिला धिकितरायलय, छीरी के पश्च संख्या-मु0पि0 अधी0/2023-24/415, दिनांक 11.08.2023 तथा प्रकरण में फिले गये अन्य पत्रावार के साथम से उपलब्ध कराये गये अविसेषों/संसुपि को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य पिंकिता अधिकारी, छीरी के अधीन रित कविल्ल सहायक के पद पर वेतन बैंड रु0 5200-20200 एवं घोट वेतन रु0 2000/- (पुर्णर्धित वेतन मैट्रिक्स लेत-3) में समर्य-समर्य पर जारी शासनादेशों में अनुबन्ध महंगाई भत्ता व अन्य भत्तों सहित अस्याकी रूप में अपोलिंगित शर्तों के अधीन नियकित प्रदान की जाती है:-

- यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है और यिन किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक वैध होगा तथा तत्पश्चात् रवतः निररत समझा जायेगा।
  - उक्त पद पर इन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में अनुमत्य महंगाई भल्ला व अन्य भत्ते देय होंगे।
  - यह नियुक्ति योगदान की तिथि से मान्य होगी तथा इस पद पर योगदान हेतु इन्हें कोई यात्रा भल्ला देय नहीं होगा।
  - योगदान करते समय मूल अभिलेखों के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छीरी के समक्ष निम्नलिखित अंकितेष्व को प्रस्तुत करना होगा :-  
 (क) हाईस्कूल/इन्टरमीडिएट व अन्य शैक्षिक योग्यता के उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।  
 (ख) अक्षित शिक्षा जहां से प्राप्त की हो वहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र।  
 (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, जो आपको भली-भांति जानते हों किंवु सम्बद्धी न हों।  
 (घ) मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र।  
 (ङ) संविधान के प्रति सत्यानिष्ठ का प्रमाण पत्र।
  - यह नियुक्ति 30प्र० सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों की भर्ती (तिहरवां संशोधन) नियमावली-2022, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-6/12/73-का-2-2022/ठी०सी०-VI(II), दिनांक 27.12.2022 में निहित शर्तों के अधीन कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित की गयी है और मृत सरकारी सेवक का आधिकारिक कम्प्यूटर प्रचालन और टंकण में अपेक्षित प्रवीणता नहीं रखता है, तो उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए नियुक्ति कर लिया जायेगा कि वह एक वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में डी०ओ०५०००१०सी०सी० सौसासटी द्वारा प्रदत्त सी०सी०सी० प्रमाण पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी प्रमाण पत्र के साथ-साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति अर्जित कर लेगा, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतन-वृद्धि रोक ली जायेगी, और कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी, और यदि वढ़ायी गई अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में विफल रहता है, तो उसे चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान करने का आदेश जारी किया जाएगा। इस प्रकार प्रदान की गई नियुक्ति प्रतिवर्तन न होकर नई नियुक्ति समझी जाएगी। यदि वह नियत समय के भीतर चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उसकी सेवाये समाप्त कर दी जायेगी।
  - कार्मिक अनुभाग-2, 30प्र० शासन अधिसूचना संख्या-6/12-73-का-2-2001, दिनांक 12.10.2001 में नियम-5 का संशोधन) के बिन्दु-3 में यह प्राविधान है कि-  
 3- उक्त नियमावली में नियम-5 में वर्तमान उपनियम-2(2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बद्ध दिये जायेंगे, अर्थात्-  
 “(3) उपनियम (1) के अधीन की गयी प्रत्येक नियुक्ति, इस शर्त के अधीन होगी कि उप नियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण करेंगा जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ है और उक्त मृतक सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के दौरं पूर्व आश्रित थे।”  
 4-जहां उपनियम (1) के अधीन नियुक्ति व्यक्ति, किसी ऐसे व्यक्ति का अनुरक्षण करने में उपेक्षा या इक्कार करता है जिसके प्रति अनुरक्षण के लिए वह उपनियम-(3) के अधीन उत्तरदायी है तो उसकी सेवाएं, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है। यह नियुक्ति उक्त शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के अकार्गत इस

- प्रतिबन्ध के साथ दी जाती है कि कु0 अनन्या कश्यप पुत्री स्व0 राजेश कुमार अपने परिवार के अव्याधितों का भरण-पोषण एवं समुचित देखभाल करती रहेंगी। ऐसा न करने की दशा में इनकी सेवाएं सदृशी की जा सकती हैं।
7. मृतक कर्मचारी, पति/पत्नी दोनों केक्षीय सरकार/राज्य सरकार अथवा उनके अधीन निगम सेवाओं में कार्यरत नहीं हैं, कार्यरत की दशा में यह सेवायोजन विष्णुभारी गाना जायेगा।
  8. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मृतक के परिवार के किसी अन्य रादर्य को मृतक आधित का लाभ पूर्व में इस विभाग व अन्य विभाग ने तो नहीं दिया गया है।
  9. मृत्यु/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र को गूल प्रगाण पत्रों से सत्यापन कर लिया जायें कि वे सक्षम अधिकारी द्वारा ही निर्गत किये गये हैं। साथ ही साथ वांछित/अनिवार्य शैक्षिक प्रमाण-पत्रों का रात्यापन/पुष्टि करा ली जाये।
  10. कर्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 27.12.2022, में निर्हित व्यवस्थानुसार एक वर्ष के भीतर कु0 अनन्या कश्यप की हिन्दी कञ्चूटर टंकण की परीक्षा का आयोजन माह दिसम्बर, 2024 के अंतिम कार्यदिवस में महानिदेशालय स्तर पर गढ़ित समिति के समक्ष अनुदेशक/विषय विशेषज्ञ, राजकीय औद्योगिक संस्थान की देख-रेख में सम्पन्न किया जाना है। उक्त परीक्षा जनपद स्तर पर कदापि आयोजित नहीं की जायेगी, परीक्षा हेतु आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, जिसे हेतु नियंत्रक अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ऊचि लेते हुए टंकण परीक्षा की तिथि सम्बन्धित कर्मचारी को अवगत करायी जायेगी।
  11. स्थानीय पुलिस के माध्यम से सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन करा लिया जाये।
  12. यह नियुक्ति पत्र जनपद/मण्डल स्तर के सक्षम अधिकारी के प्रमाणित एवं अग्रसारित अभिलेखों के आधार पर जारी किया जा रहा है।
  13. यदि भविष्य में कु0 अनन्या कश्यप द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिलेख संदिग्ध/फर्जी/विचलन पाये जाते हैं तो उनकी सेवायें स्वतः समाप्त हो जायेंगी, इसकी जिम्मेदारी अग्रसारण अधिकारी की होगी तथा असत्य प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में नियमानुसार कु0 अनन्या कश्यप के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
  14. उक्त आदेश शासनादेश दिनांक 06.12.2022 के द्वारा जिला चिकित्सालय, खीरी का विलय स्वशासीय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, लखीमपुर खीरी में हो जाने के कारण निर्गत किया जा रहा है।

(डा० राजागणपति आर०)  
आई०ए०ए०स०  
निदेशक (प्रशासन)

- संख्या-4डी(1)/380/2021/ ३६९ -८० तददिनांक।
- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**
1. महालेश्वाकार (लिखा एवं हक्कदारी) उ०प्र० प्रयागराज।
  2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन चिकित्सा अनुभाग-४
  3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
  4. निदेशक (चिकित्सा उपचार), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड हेतु।
  5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
  6. संयुक्त निदेशक, (मुख्यालय परिधिगत), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को निर्देशित किया जाता है कि उक्त तिथि में नियमानुसार परीक्षा का आयोजन अवश्य कराना सुनिश्चित करें।
  7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, खीरी।
  8. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खीरी को अनुपालनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि बिन्दु संख्या-०४, ०६, ०७, ०८, ०९, १० एवं ११ पर वांछित अभिलेख/आख्या समय-समय पर पूर्ण होने की स्थिति में उसकी एक-एक प्रतिहस्ताक्षरित प्रति विशेष पत्रवाहक के माध्यम से महानिदेशालय की मूल पत्रावली में रक्षित करवायें।
  9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, खीरी।
  10. कु0 अनन्या कश्यप पुत्री स्व0 राजेश कुमार, निवासी-जिला चिकित्सालय कैम्पस, लखीमपुर खीरी (पंजीकृत ढाक द्वारा)।
  11. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, खीरी को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित अभ्यर्थी का पुलिस सत्यापन कराकर सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  12. गार्ड फाइल।

(डा० रंजना छरे)  
अपर निदेशक (मुख्यालय परिधिगत)